

हाईवे चैनल

□ वर्ष- 27 □ अंक- 231 □ रावपुर, शुक्रवार 13 सितम्बर 2024 □ पृष्ठ- 8 □ मूल्य- 2.50 रुपये □ रावपुर • बिलासपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

कलेक्टर-पुलिस अधीक्षक कांफ्रेंस में सीएम साय की दो टूक

धार्मिक मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, तुरंत हो कार्रवाई

बिलासपुर, 13 सितंबर (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कलेक्टर-पुलिस अधीक्षक कांफ्रेंस के दूसरे दिन की समीक्षा बैठक जारी है। इस दौरान साय ने बिलासपुर रेंज के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे क्षेत्र में अपराधों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें और सुशासन को प्रतिबद्धता को पूरा करें। उन्होंने कहा कि बिलासपुर रेंज में अपराधों में कमी आई है, लेकिन इसे पर्याप्त मानकर संतोष करना गलत



चाहिए और इस तरह के मामलों को जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए। गी-तकर और नरो की समस्या को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बिना थक की ओर कहा कि इन पर निरंतर ध्यान बहुत आवश्यक है। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में एंड टू एंड कार्रवाई की जाए, ताकि अपराधियों को कठोर सजा मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति न हो। मुख्यमंत्री के इन निर्देशों के बाद उम्मीद की जा रही है

होगा। सरकार को प्राथमिकता सुशासन देना है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की हिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने पिछले वर्षों की तुलना में अपराधों में आई कमी को सराहना की, लेकिन उन्होंने चेतावनी कि जिला बंदर और अन्य प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों में किसी भी प्रकार की रूकावट नहीं आनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि पुलिस अधीक्षक (एसपी) और जिला कलेक्टर आपसी समन्वय और टीम भावना के साथ काम करें, ताकि कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।

उन्होंने धार्मिक मामलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए और कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हत्या जैसे गंभीर अपराधों में तुरंत कार्रवाई की जानी

होगा। सरकार को प्राथमिकता सुशासन देना है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की हिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने पिछले वर्षों की तुलना में अपराधों में आई कमी को सराहना की, लेकिन उन्होंने चेतावनी कि जिला बंदर और अन्य प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों में किसी भी प्रकार की रूकावट नहीं आनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि पुलिस अधीक्षक (एसपी) और जिला कलेक्टर आपसी समन्वय और टीम भावना के साथ काम करें, ताकि कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।

हेलीकॉप्टर क्रैश, सभी की मौत- केवल एक यात्री चमत्कारिक रूप से जिंदा बच निकला

नई दिल्ली, 13 सितंबर (हाईवे चैनल)। ब्राजील में एक हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना सामने आई है, जिसमें एक शख्स चमत्कारिक रूप से बच गया, जबकि हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। यह घटना सोमवार को कारुआरू में हुई, जब तीन लोग हेलीकॉप्टर में सवार होकर उड़ान भर रहे थे। उड़ान के दौरान अचानक हेलीकॉप्टर में आग लग गई और वह तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। हेलीकॉप्टर गिरने से पहले ही उसमें आग भड़क गई थी, और जब वह जमीन पर टकराया तो आग और भीषण हो गई। हालांकि, इस दुर्घटना में 41 वर्षीय यात्री कुन्हा डीस सेंटोस चमत्कारिक रूप से बच गए। हेलीकॉप्टर गिरने समय वह झाड़ियों में गिरे, और लोगों ने उन्हें बिना जले हुए कपड़ों के चलते हुए पाया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें गंभीर स्थिति में वैटेलेंटर पर रखा गया है।

केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

नई दिल्ली, 13 सितंबर (हाईवे चैनल)। सुप्रीम कोर्ट ने आवकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दो याचिकाओं पर फैसला सुनाया। व्यापमूर्ति सूर्यकांत ने आवकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया। इस संबंध में व्यापमूर्ति उज्ज्वल भुष्या ने उनके फैसले पर सहमति जताई। कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी। सीबीआई को गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अपीलकर्ता को गिरफ्तारी अवैध नहीं



थी। ईडी मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। ऐसे में अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया

है। उन्होंने 103 दिन पहले यानी 2 जून को अंतरिम जमानत की मियाद पूरी होने के बाद सरेंडर किया था। माना जा रहा है कि वे आज ही जेल से बाहर आ सकते हैं। दरअसल, केजरीवाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी और जमानत से दिल्ली हाईकोर्ट के इनकार को चुनौती देते हुए दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। पीठ ने पांच सितंबर को केजरीवाल की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख को 26 जून को गिरफ्तार किया था।

डीजे की तेज आवाज से ब्रेन हेमरेज का शिकार हो गया युवक, रिपोर्ट देवकर डॉक्टर भी हैरान

कलेक्टर ने दी चेतावनी, बोले- तेज आवाज में डीजे बजाया तो होगी राजसात और एफआईआर

अंबिकापुर, 13 सितंबर (हाईवे चैनल)। डीजे की तीव्र ध्वनि से अब लोगों को जान पर बन आ रही है। बहराणन के साथ लोग अब ब्रेन हेमरेज के शिकार भी हो रहे हैं। एक ऐसा ही मामला बलरामपुर जिले से सामने आया है। डीजे की तीव्र ध्वनि के कारण युवक ब्रेन हेमरेज के शिकार हो गया है। उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर से रावपुर रेफर कर दिया गया है। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सनावल निवासी संजय जायसवाल (40) को 2 दिन पूर्व चक्रार आने व उठती की शिकायत पर परिजन द्वारा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ इंटरटी विभाग के चिकित्सक डॉ. शैलेंद्र गुप्ता ने जब उसका सीटी स्कैन कराया और रिपोर्ट देखी तो युवक के सिर के पिछले हिस्से का नस फटने से ब्लाड क्लॉटिंग हुई थी।



चिकित्सक ने बताया कि सामान्यतः ऐसा हाई ब्लड प्रेशर, एक्सिडेंट व मासिपेट को घटना में होता है, जबकि युवक के परिजन द्वारा उसके साथ ऐसी कोई घटना न होने की बात बताई गई। चिकित्सक डॉ. शैलेंद्र गुप्ता ने मरीज से उसके पूर्व दिवचर्य व बीमारी के बारे में पूछा तो उसने ऐसी कोई बीमारी

न होने की बात बताई। उसे बीपी की शिकायत भी नहीं थी। अस्पताल में भी उसका बीपी नॉर्मल था। परिजन ने डॉक्टर को बताया कि जिस समय उठती व चक्रार आने की शिकायत हुई थी उस समय घर के पास तेज आवाज में डीजे बज रहा था। अब डीजे की तीव्र ध्वनि के कारण युवक को ब्रेन हेमरेज होने की संभावना जलाई जा रही है। फिलहाल युवक को बेहतर इलाज के लिए रावपुर रेफर कर दिया गया है। डॉ. शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि 2 माह में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 500 मरीजों का सुनाई देने की क्षमता की जांच की गई, जिसमें 161 मरीजों में सुनाई देने वाली नसों के प्रभावित होने की बात जांच में सामने आई है। वर्तमान में ध्वनि प्रदूषण के कारण बर्धिरता में 15 प्रतिशत की वृद्धि देखी जा रही है। सामान्य तौर पर 70 डेसीबल को तीव्रता की ध्वनि मानव शरीर के लिए उपयुक्त रहती है। 85 डेसीबल की ध्वनि तीव्रता लगातार कान में पड़ने से सुनने की क्षमता में स्थायी रूप से कमी कर सकती है। सुनने की क्षमता के साथ स्वभाव में चिड़चिड़ापन, उच्च रक्तचाप, इद्रयघात, लकवा, अर्निटा, भूलने की बीमारी व एलजाइमस बीमारी होने की संभावना हो सकती है।

Dhamtari's 1st Organized Business Hub



Badhega Dhandā,
Badhega Dhamtari!

Limited Retail Outlets

Pre-Launch Starts

Main Road, Arjuni Chowk, Dhamtari 70897-81831, 62691-19111